FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** Anti Corruption Bureau, Gurugram **Year (वर्ष):** 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0011 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 05/03/2023 19:37 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	418
4	IPC 1860	420
5	IPC 1860	467
6	IPC 1860	468
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/03/2023 **Time (समय):** 05:15 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 013 **Date and Time (दिनांक और समय):** 05/03/2023 18:26 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 7 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): गुरूग्राम,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** SURESH KUMAR

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 07/11/1968 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**SONIPAT, SONIPAT SADAR, SONIPAT, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**SONIPAT, SONIPAT SADAR, SONIPAT, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9999512721

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	भारत भुषण तनेजा			1. HSVP PKL,PANCHKULA,HARYANA,INDIA
2	मुकेश कुमार सोलंकी सम्पदा अधिकारी EO 1 सै0 14 GGM			1. सैक्टर 14 गुरूग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
3	सज्जन सिंह अनुभाग अधिकारी			1. गुरूग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
4	सुभाष चन्द हुड्डा विभाग			1. हुड्डा विभाग उप अधीक्षक, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
5	संजय कुमार हुड्डा विभाग			1. हुड्डा विभाग रिकार्ड कीपर, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
6	अमित कुमार पुत्र रामचंद्र			1. निवासी 842/18 शिवाजी नगर, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
7	रवि अबरोल पुत्र रामरत्न अबरोल			1. निवासी D- 835 प्रथम तल,न्यू फ्रैन्डस कालोनी नई दिल्ली,NEW DELHI,DELHI,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में प्रबन्धक अफसर,राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल,गुरूग्राम विषयः- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर । निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 07 दिनांक 10.05.2019/गुरूग्राम अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के कार्यालय पत्र क्रमांक 58 / 52 / 2018-1 चौः(1) दिनांक 03.05.2019, व महानिदेशक राज्य चौकसी

ब्यूरो हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 7767/i–2/रा०चौ०ब्यू0 (ह०) दिनांक 10.05.2019 के अनुसार आसूचना रिपोर्ट पर श्री रिषिराज निदेशक मैसर्स आर0आर0 फाउण्डेशन इन्जिनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड व सम्पदा अधिकारी हुडा गुरूग्राम के विरूद्ध दर्ज हुई थी। जिसमें तीन S.C.O. No. 8,13 व 30 सैक्टर-23/23ए गुरूग्राम के पूनः आवंटन में हुए षडयंत्र एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की गई, S.C.O. No. 8 व 30 के बारे में अभियोगं संख्या 43 दिनांक 28.11.2022 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुरूग्राम में अलग से दर्ज है।

S.C.O. No.13 से सम्बंधित आरोपो की पडताल के दौरान पाया गया कि मैसर्स आर0आर0 कन्सट्रैक्सन प्रा०लि० ने हुडा विभाग, सेक्टर 14, गुरूग्राम में एस०सी०ओ० नं० 13 सैक्टर 23/23ए गुरूग्राम की खुली बोली में निलामी करने के लिए आवेदन किया था। दिनांक 18.12.1997 को आर0आर0 कन्सट्रैक्सन की बोली सबसे अधिक होने के कारण उसे एस०सी०ओ० न० 13 सैक्टर 23 / 23ए गुरूग्राम अलाट किया गया। उक्त फर्म से कुल कीमत की 10 प्रतिशत राशी मौके पर जमा करा ली। उसके बाद 15 प्रतिशत राशी हुडडा विभाग द्वारा अलाटमेन्ट पत्र जारी करने के 1 महीने के दौरान जमा करवानी थी। हुडा विभाग गुरुग्राम के द्वारा मैसर्स आर0आर0 कन्सट्रेक्शन को 15 प्रतिशत राशी जमा करवाने के लिये रजिस्ट्रड डाक द्वारा पत्र क्रमांक 285 दिनांक 18.12.1997 के अनुसार भेज दिया गया। परन्तु डाक विभाग द्वारा पत्र वापस लोटाते हुए बिना सर्विस हुए टिप्पणी की गई कि" Un delivered of returen to sender" । जबकि उपरोक्त कम्पनी का कार्यालय वर्तमान में भी वही है। उपरोक्त फर्म द्वारा दिये गये समय के दौरान 15 प्रतिशत राशी जमा नही कराई गई। जिसके बाद सम्पदा अधिकारी ई0ओ0-1 सैक्टर-14 के द्वारा पत्र क्रमांक 1957 dated 10.04.1998 के अनुसार एस०सी.ओ. न0 13 सैक्टर 23 / 23ए गुरूग्राम के आवंटन को रद्द कर दिया गया, तथा 10 प्रतिशत जमा राशि जब्त कर ली गई। उपरोक्त आदेश / नोटिस भी मैसर्स आर0आर0 कन्सटैक्शन के उपरोक्त पते पर ही भेजा गया जो उन्हे प्राप्त हो गया। उसके बाद दिनांक 20.04.1998 को मैसर्स आर०आर० कन्सट्रेक्शन के निदेशक ने हुडा आफिस सैक्टर-14 गुरूग्राम आकर अपना प्रार्थना पत्र दिया । सम्पदा अधिकारी गुरूग्राम, प्रशासक के पास तथा मुख्य प्रशासक पंचकुला के पास अपील डाली गई। जिसके उपरान्त तत्कालीन प्रशासक हुडा गुरुग्राम द्वारा दिनॉक 16.04.1999 को आर0आर0 कन्सट्रेक्शन की अपील रदद की गई। इसके बाद मैसर्स आर0आर0 कन्सट्रेक्शन के निदेशक श्री रवि अबरोल पुत्र रामरत्न अबरोल निवासी डी 835 फस्ट फलोर न्यु फैन्डस कॉलोनी नई दिल्ली ने श्री अमित कुमार पुत्र राम चन्द्र निवासी 842/18 शिवाजी नगर गुरूग्राम के नाम एस०सी०ओ० नं० 13 सैक्टर 23/23ए गुरूग्राम के सम्बंध में दिनांक 09.07.18 को एक जी०पी०ए० गौतम बुध नगर उ0प्र0 में पंजीकृत कराई। जबकि उस दिन एस०सी०ओ० न० 13 सैक्टर 23 / 23ए गुरुग्राम की 15 प्रतिशत राशी जमा ना करवाने के कारण सम्पदा अधिकारी - गुरूग्राम द्वारा उक्त एस०सी०ओ० की अलाटमैन्ट रदद/Cancel होने के कारण आर0आर0 कन्सट्रैक्शन निदेशक रवि अबरोल इसका मालिक ही नही था। श्री रवि अबरोल ने फर्जी एंव गलत तरीके से श्री अमित कुमार से साज-बाज होकर उसके नाम जी०पी०ए० करा दी। जी०पी०ए० होल्डर श्री अमित कुमार ने दिनांक 08.07.2018 को एक प्रतिवेदन सरकार को एस०सी०ओ० न० 8 व 30 का हवाला देते हुये दिया। जो सामान्य प्रक्रिया के तहत मुख्य प्रशासक हुडा पंचकुला के कार्यालय में भेज दिया गया। मुख्य प्रशासक हुडा पंचकुला ने अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रशासक हुडा पंचकुला को मार्क कर दिया। श्री भारत भुषण तनेजा तत्तकालिन अधीक्षक कार्यालय मुख्य प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला ने उच्च अधिकारीयों के सज्ञानं में लाए बगैर दिनॉक 27.07.2018 को मुख्य प्रशासक कार्यालय पचकुला से प्रशासक हुडा एवं सम्पदा अधिकारी हुडा गुरुग्राम को Email की गई जिसमें निम्न विवरण अकिंत किया गया" Reference representation of the allotee dt. 08.07.2018, it is desired to send the detailed comment on the said representation of M/s R.R construction Pvt. Ltd by verified the facts with regard to non delivery of the allotment letter of this site to the allottee. If the said fact is correct, you are requested to take necessary action regarding issuance of allotment letter under information to this office with in 2 days positively" जिसे आधार मानकर मुकेश कुमार सोलंकी द्वारा अपने स्तर पर अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 5536 दिनांक 02.08.2018 अनुसार मैसर्स आर0आर0 कन्सट्रैक्शन के निदेशक के नाम री-अलाटमैन्ट जारी कर दिया जबकि इस मामले में प्रतिवादी श्री मुकेश कुमार सोलंकी सम्पदा अधिकारी गुरूग्राम द्वारा उपरोक्त एस०सी०ओ० साईट को हुडा विभाग के तत्कालीन सम्पदा अधिकारी द्वारा सन 1998 में रदद की गई थी व तत्कालीन प्रशासक हुडा विभाग द्वारा रिजयुम किया जा चुका था। इस बारे सम्पदा अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार करते हुये इन तथ्यो का हवाला देकर अपनी टिप्पणी देनी चाहिये थी। परन्तु उक्त अधिकारी श्री मुकेश कुमार सोलंकी द्वारा उपरोक्त एस०सी०ओ० साईट की अलॉटमेंट लैटर जारी करने में नियमों की अवहेलना करके अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अलॉटी फर्म के साथ मिली भगत करके री-अलाटमैन्ट पत्र जारी किया गया। प्रशासक हुड़ा गुरूग्राम के द्वारा मुख्य प्रशासक हुडा को श्री मुकेश कुमार सोलंकी के विरूद्ध अनुसाशानात्मक कार्यवाही करने के लिये सिफारिश की ग़ई। इसके

बाद श्री मुकेश कुमार सोलंकी को जब पता चला कि उसके द्वारा गलत तरीके से री- अलॉटमेन्ट जारी किये जाने पर इस बारे उसके खिलाफ उच्चाधिकारीयो द्वारा कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में मुख्य प्रशासक हुडा पंचकुला से पत्र क्रमांक A-1-UB-2018/75558 dated 01.09.2018 के अनुसार इस री-अलाटमैन्ट को रदद करने बारे लिखा गया। इसके पश्चात प्रतिवादी श्री मुकेश कुमार सोलंकी सम्पदा अधिकारी -1 गुरूग्राम द्वारा SCO No. 13 सैक्टर 23/23ए के री-ॲलाटमैन्ट आदेश को पत्र क्रमांक 6431 दिनांक 04.09.2018 के अनुसार रदद किया गया। जिस बारे फर्म को अलग से पत्र जारी करके सूचित किया गयाऔर जमा राशी वापिस करने के आदेश किये गये। श्री मुकेश कुमार सोलंकी सम्पदा अधिकारी-1, गुरूग्राम द्वारा बिना किसी अर्थोटी के सम्बन्धित फर्म के निदेशक व जी०पी०ए० होल्डर अमित कुमार से साज-बाज होकर सरकार को हानि पहुचाकर अमानत में ख्यानत करके SCO No. 13 सैक्टर 23/23ए गुरूग्राम का री-अलॉटमैन्ट पत्र जारी किया गया। श्री भारत भुषण तनेजा तत्तकालीन अधीक्षक कार्यालय मुख्य प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला, श्री मुकेश कुमार सोलंकी सम्पदा अधिकारी-1, गुरूग्राम, श्री सज्जन सिहँ अनुभाग अधिकारी, श्री सुभाष चन्द उप अधीक्षक, श्री संजय कुमार लिपिक/रिकार्ड कीपर ने उपरोक्त फर्म के मालिक रवि ओबराल, जी०पी०ए० होल्डर अमित कुमार से मिलीभगत करके उपरोक्त एस0सी0ओ0 के बारे में सभी अधिकारियो से अपील आदि खारीज होने के बावजूद, बिना सक्षम अधिकारी के आदेशों / अनुमति के बिना तथ्यो की तसदीक की बिना उच्च अधिकारियो को तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट भेजे बिना, 21 वर्ष बाद वर्ष 1997 की कीमत पर उपरोक्त एस०सी०ओ० का री-ॲलाटमैन्ट पत्र जारी करके फर्म को अनुचित लाभ व हुडा विभाग को लगभग 3.50 करोड रूपयों का नुकशान पहुचाया गया है। जिस सम्बन्ध में जांच अधिकारी द्वारा श्री भारत भुषण तनेजा तत्तकालीन अधीक्षक कार्यालय मुख्य प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला, श्री मुकेश कुमार सोलंकी सम्पदा अधिकारी - 1, श्री सज्जन सिहँ अनुभाग अधिकारी, श्री सुभाष चन्द उप अधीक्षक, श्री संजय कुमार लिपिक रिकार्ड / कीपर, उपरोक्त फर्म के मालिक रवि अबरोल, जी०पी०ए० होल्डर अमित कुमार के विरूद्व धारा 409,418,420,467,468,120बी भा०द०स० व 7(c) पी०सी० एक्ट के अधीन अभियोग अंकित करने की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी / अधिकारी लकी संलिप्ता पाई जावे तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया है। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 58/52/2019 -1चौ(1) दिनांक 10.11.2022 व श्रीमान महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकूला के पृष्ट क्रमांक 17906/गुप्त शाखा/रा०चौ० ब्यूरो (ह०) दिनांक 11.11.2022 के अनुसार श्री भारत भुषण तनेजा तत्तकालीन अधीक्षक कार्यालय मुख्य प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला, श्री मुकेश कुमार सोंलकी सम्पदा अधिकारी ई0ओ-1, सैक्टर-14 गुरूग्राम, श्री सज्जन सिहँ अनुभाग अधिकारी, श्री सुभाष चन्द हुडा विभाग उप अधीक्ष, गुरूग्राम, श्री संजय कुमार हुडा विभाग रिकार्ड कीपर गुरूग्राम, श्री अमित कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी 842/18 शिवाजी नगर गुरूग्राम, श्री रवि अबरोल निदेशक आर0आर0 कन्सट्रैक्शन पुत्र स्व0 श्री रामरत्न अबरोल निवासी डी - 835 प्रथम तल न्यू फैन्डस कालोनी नई दिल्ली के खिलाफ धारा 409,418,420,467,468, 120बी भा०द०स० व धारा 7 (सी) 13(1)(ए) सपठित 13 (2) पी०सी० एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करने के आदेश दिये गये है। जो उक्त निर्देशो की पालना में ड्राफ्ट तहरीर मेरे द्वारा तैयार करके अनुमोदन हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 702/SVB/GGM dated 10.02.2023 के अनुसार महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पचकुला के कार्यालय में प्रेषित की गई थी। आज मै हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम हूॅ कि महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पचकुला के कार्यालय क्रमांक 2806/Secret/ACB(H) dated 16.02.2023 के अनुसार तहरीर अनुमोदित होकर इस कार्यालय में प्राप्त हुई है, जिसमें उनके कार्यालय द्वारा इस मामले में अभियोग अकिंत किए जाने बारे तहरीर को approved किया गया है। अतः उपरोक्त आरोपियान के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अभियोग अकिंत करने के लिए लेख तैयार करके ई०एस०आई० धर्मबीर सिह न० 247 / रेवाडी के माध्यम से भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करके अभियोग सख्या से सुचित किया जाये। अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्चाधिकारियो को भिजवाई जावे । निरीक्षक सुरेश कुमार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरूग्राम दिनांक 05.03.2023 At 5.10 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब गुरुग्राम बदस्त ESI धर्मबीर सिंह नं0 247/ रेवाडी के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश नि0 सुरेश कुमार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा ESI धर्मबीर सिंह नं0 247/ रेवाडी के हवाले की गई । नोट- श्री मान जी, CCTNS मे तकनीकी खराबी के

कारण CCTNS मे प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नही किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** SURESH KUMAR **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 299GGN **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): KULDEEP SINGH

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male	1973				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	1966				**Is pox pitted:** Yes
3	Male	1972				**Is pox pitted:** Yes
4	Male	1969				**Is pox pitted:** Yes
5	Male	1970				**Is pox pitted:** Yes
6	Male	1975				**Is pox pitted:** Yes
7	Male	1973				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)